

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल -34/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० फौजिया सफी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के दिनांक-07.12.2022 से 05.07.2023 तक उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1316(25) दिनांक-25.07.2024 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 180 के आलोक में निम्नवत स्वीकृत किया जाता है:-

i.	दिनांक-07.12.2022 से 09.01.2023 तक	-	कुल-34 (चौतीस) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
ii.	दिनांक-10.01.2023 से 05.07.2023 तक	-	कुल-177 (एक सौ सत्तहत्तर) दिन असाधारण अवकाश के रूप में।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -


(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल -34/2024- 1043(2) पटना, दिनांक 18/5/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/प्रशासी पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना/डा० फौजिया सफी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।
E